अत्यन्त महत्वपूर्ण/समयबद्ध

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश

कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, आलमबाग, लखनऊ–226005
फोन : 0522–2455155, फैक्स : 0522–2455160 ई मेल : igprisons-up@nic.in

परिपत्र संख्या– 21/29 /आधु0–2/ई–प्रिजन

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 19 जुलाई, 2019

विषय– प्रदेश की कारागारों ई–प्रिजन कार्ययोजना के अन्तर्गत बंदियों की फोटोग्राफ तथा डाटा साफ्टवेयर में फीड किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

दिनांक 17.07.2019 को जिला कारागार मुरादाबाद में निरूद्ध 02 बंदियों का पुलिस अभिरक्षा से पलायन की घटना में इन बंदियों की फोटोग्राफ संरक्षित नही पायी गयी है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक तथा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

2– प्रदेश की सभी कारागारों में ई–प्रिजन कार्ययोजना संचालित हो रही है। इसके अन्तर्गत कारागार में प्रवेश के समय अन्य सभी सूचनाओं के साथ बंदी की फोटोग्राफ लिये जाने के निर्देश दिये गये है। वर्तमान में पुलिस विभाग में संचालित सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत आईसीजेएस (Inter Operable Criminal Justice System) में डाटा शेयरिंग का प्रावधान है। इस संदर्भ में महानिरीक्षक, अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र दिनांक 11.06.2018 द्वारा संज्ञान में लाया गया था कि प्रदेश की कारागारों में ई–प्रिजन कार्ययोजना के अन्तर्गत कुछ अभियुक्तों के फोटो, आधार तथा मोबाइल नम्बर फीड नही किया जा रहा है जिससे आपराधिक मामलों के सम्यक् विवेचना हेतु यह सूचना पुलिस को नही मिल पा रही है।

3– उक्त के संदर्भ में दिनांक 05/06.07.2018 को कारागार मुख्यालय में सम्पन्न समस्त अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये गये थे कि कारागार में प्रवेश के समय बंदी की फोटोग्राफ सामने तथा दोनों साइड नाम पट्टिका के साथ संरक्षित की जायेगी। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये थे कि आपराधियों का डाटा संरक्षित तथा विभिन्न मामलों में आवश्यकता पड़ने पर उपयोग होने के दृष्टिगत वर्तमान में कारागारों में जो बंदी निरूद्ध हो, उन सभी की फोटोग्राफ संरक्षित की जाय।

4– उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में पुनः निर्देशित किया जाता है कि कारागार में प्रवेश करने वाले सभी बंदियों की फोटोग्राफ निर्देशानुसार सामने तथा दोनों साइड नाम पट्टिा के साथ अनिवार्य रूप से लेकर उसे संरक्षित किया जाय। ई–प्रिजन कार्ययोजना के संचालन वर्ष 2014–15 के पूर्व से निरूद्ध बंदियों की फोटोग्राफ संरक्षित न की गयी हो तो विशेष अभियान चलाकर फोटोग्राफी कर उन्हें उनके डाटा के साथ यथास्थान संरक्षित किया जाय। उक्त कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर आगामी 15 दिनों में कराते हुये दिनांक 10 अगस्त 2019 तक यह प्रमाण पत्र दें कि कारागार पर सभी बंदियों की फोटोग्राफ नाम पट्टिका के साथ संरक्षित कर ली गयी है।

19/7/19

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0सं0– 21 (1) /आधु–2/ई–प्रिजन/परिपत्र तददिनांकित 19.07.19

प्रतिलिपि समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार यह सुनिश्चित करायें कि उनके परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कारागारों के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षकों द्वारा कारागार में निरूद्ध बंदियों की फोटोग्राफ दिये गये निर्देशानुसार संरक्षित करते हुये दिनांक 10 अगस्त 2019 तक प्रमाण पत्र मुख्यालय प्रेषित कर दिया गया है।

19/7/19

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

19.07.19